उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

us.kaviniviniyam@uppcl.org

0522-2218329 / 2218420

पत्रांक I/57483/2026 कविनी एवं विनियम-29 कम्पयूटर सं0-108836   दिनांक 27-06-2026

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा *उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ('भर्ती का वर्ष' की परिभाषा का प्रतिस्थापन) विनियमावली-2026* निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ('भर्ती का वर्ष' की परिभाषा का प्रतिस्थापन) विनियमावली-2026

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं लागू होना	1.(i) यह विनियमावली "उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ('भर्ती का वर्ष' की परिभाषा का प्रतिस्थापन) विनियमावली-2026" कही जायेगी। (ii) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी। (iii) यह उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की समस्त सेवा विनियमावलियों पर लागू होगी।
अध्यारोही प्रभाव	2. इस विनियमावली के उपबंध कारपोरेशन में निदेशक मण्डल द्वारा "कम्पनी एक्ट-2013" के सेक्शन 179 तथा कम्पनी एक्ट के मेमोरैन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन में प्राप्त अधिकारों के तहत बनाये गये हैं। इस निमित्त जारी किये गये अन्य विनियम या कार्यपालक आदेश, यदि कोई हों, में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह विनियमावली प्रभावी होगी।
परिभाषाएं	3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में, (i) "कारपोरेशन" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से है। (ii) "निदेशक मण्डल" का आशय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल से है।

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr>
<td>भर्ती का वर्ष की परिभाषा का प्रतिस्थापन</td>
<td>4. कारपोरेशन द्वारा अपने कार्मिकों हेतु बनाई गयी सुसंगत सेवा विनियमावलियों में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गई 'भर्ती का वर्ष' की विद्यमान परिभाषा या जहां 'भर्ती वर्ष' या 'चयन वर्ष' के सन्दर्भ का उल्लेख किया गया हो, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई परिभाषा रख दी जायेगी, अर्थात:-
<table>
<tr><th>स्तम्भ-1</th><th>स्तम्भ-2</th></tr>
<tr><th>विद्यमान परिभाषा</th><th>प्रतिस्थापित परिभाषा</th></tr>
<tr><td>''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।</td><td>''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यावृत्ति</td>
<td>5(i) इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के परिणामस्वरूप भर्ती वर्ष 2026-27, दिनांक 01.07.2026 से 31.12.2026 तक सीमित होगा। चयन वर्ष 2026-2027 में माह दिसम्बर, 2026 तक घटित होने वाली समस्त रिक्तियों की गणना करते हुए पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही 30 जून, 2026 तक पूर्ण कर ली जायेंगी।

(क) नये चयन वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) के मध्य घटित होने वाली समस्त रिक्तियों की गणना करते हुए पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही 15, जनवरी तक पूर्ण कर ली जायेंगी।

5(ii) इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, यदि किसी पद के लिए चयन हो चुका है या चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी।

5(iii) इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व यदि किसी पद के चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन या भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी और इस निमित्त जारी विज्ञापन के अनुसार किया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>सुसंगत सेवा</td>
<td>6. नियम-4 के उपबन्धों के अध्याधीन सुसंगत सेवा नियमावली में</td>
</tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली में अन्य निबन्धनों और शर्तों का अप्रभावित रहना	अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0

संo I/57483/2026 काविनी एवं विनियम-29 कम्पयूटर सं0-108836 दि0 27-06-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०-वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०-मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०-लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०-आगरा/केस्को, कानपुर एवं यू०पी०आर०ई०वी० के निजी सचिव ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

27/6/2026

(अंजू)

अनु सचिव (काविनी एवं विनियम)

Scanned with OKEN Scanner